उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के संदर्भ में नागरिकों की भूमिका व अधिकारों से सम्बन्धित चार्टर

प्रदेश में विश्व-बैंक की सहायता से 32 चयनित जनपदों के 157 विकासखण्डों में ''उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना'' का कियान्वयन किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत मुख्य रूप से कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध विकास तथा रेशम विकास विभाग के कार्यक्रम सम्मिलित किये गये है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, सम्पर्क मार्गों तथा हाट-पैठों का निर्माण भी इस परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान विविधीकरण की प्रवृत्तियों को विकसित व प्रोत्साहित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना एवं ग्रामीण कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना भी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित है।

परियोजना की रणनीति के अन्तर्गत जनसहभागिता को विशेष महत्व दिया गया है। सम्भवतः सम्पूर्ण परियोजना का कियान्वयन ही जनसहभागिता के आधार पर कृषकों/ग्रामीणों के सशक्तीकरण के उद्देश्य से जनसहभागिता समूहों में गठित करनें की परिकल्पना की गयी है।

कार्यक्रमों के नियोजन के आरम्भिक चरण से लेकर कार्यक्रमों के कियान्वयन और अनुश्रवण में स्वैच्छिक संस्थाओं एवं कृषकों के स्वयं सहायता संगठन को महत्वपूर्ण भूमिका व दायित्व प्रदान किये गये है। परियोजना के अन्तर्गत प्रयास यह किया गया है कि आवश्यकताओं का अभिज्ञापन एवं तद्नुसार उपयुक्त कार्यक्रमों का चयन स्वंय कृषक हितार्थी समूहों द्वारा किया जाये और विकेन्द्रीकृत के नियोजन की प्रकिया के संदर्भ में कृषकों एवं ग्रामीणों को परियोजना की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए उन्हें प्रभावशाली भूमिका प्रदान करनें हेतु निम्नलिखित रणनीति अपनाई गयी है:-

योजना निर्माण : स्वयं कृषकों द्वारा:

उ.प्र. कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत पहली बार यह चेष्टा की गयी है कि योजना को ऊपर से न बनाया जाकर एकदम निचले स्तर ग्रामवासियों एवं कृषकों के सहयोग से तैयार किया जाये अर्थात:-

- ग्रामवासियों द्वारा आपस में बैठकर व विचार कर अपनी व गाँव की आवश्यकताओं का आंकलन किया जाये।
- योजना निर्माण में स्वयं-सेवी संस्थाओं द्वारा आवश्यक सहायता व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाये।
- शासन की भूमिका मात्र पर्यवेक्षक की ही रहे।

- योजनाओं का संचालन स्वयं कृषकों तथा उनके समूहों (कृषक सहायता समूहों) के माध्यम से किया जाये।

कृषक संगठन व स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन:

कृषक स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा:-

परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को उनके स्वयं सहायता समूहों में संगठित किये जाने की रणनीति अपनाई गई है क्योंकि यह अनुभव रहा है कि एकल प्रयासों की तुलना में सामूहिक प्रयास अधिक टिकाऊ व लाभदायक होते है। अत: परियोजना के अन्तर्गत:-

- चयनित जनपद/विकासखण्ड के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषक सहायता समूहों का गठन परियोजनान्तर्गत किया गया है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्यत: एक महिला कृषक समूह का गठन परियोजना के अन्तर्गत किया गया है।
- समूहों के माध्यम से कृषि की नई-नई तकनीकों व शोधों का अन्य कृषकों में प्रसार की रणनीति का अनुसरण।
- कृषक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिये नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था परियोजना निधियों से सुनिश्चित किया जाना।
- समूहों को आर्थिक दृष्टि से जीवक्षम बनाने हेतु उनके लिये उपयुक्त आर्थिक गतिविधियों का चयन कर बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा को उपलब्ध कराये जाने के प्रयास।

कृषकों की सहभागिता एवं कार्यक्रमों का कियान्वयन:

- एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन एवं एकीकृत पादप पोषक प्रबन्धन प्रदर्शनों का आयोजन स्वयं कृषक सहायता समूहों द्वारा अपने सदस्यों के प्रक्षेत्रों पर आयोजित किया जा रहा है।
- निवेशों की व्यवस्था स्वयं कृषकों द्वारा निर्धारित तथा शासन द्वारा मात्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना।
- रेशम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रेशम उत्पादक कृषकों के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यक्रमों का कियान्वयन।
- कृषकों द्वारा अपनी रूचियों के अनुरूप उपयुक्त फसल पद्धतियों का चयन। शासन की भूमिका आवश्यक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने तक सीमित।
- वित्तीय सहायता कृषकों के स्वयं सहायता समूहों को।
- ग्रामीण शिक्षित युवाओं का गोपालकों के रूप में चयन और उनके माध्यम से पशुपालन सेवाओं का पशुपालकों के द्वार तक विस्तार।
- चयनित गोपालकों को नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं प्रारम्भ के 2 वर्षों तक स्वयं को स्थापित करनें हेतु वित्तीय सहायता।
- प्रगतिशील कृषकों को मित्र कृषक के रूप में चयनित व प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से कृषि प्रसार सेवाओं का विस्तार।

अवस्थापना सेवाएँ:

ग्रामीण सम्पर्क मार्ग:-

- उ.प्र. कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का चयन ग्रामवासियों व कृषकों के परामर्श से।
- निर्मित सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों को।

ग्रामीण हाट-पैठ:-

- परियोजनान्तर्गत हाट-पैठों हेतु उपयुक्त स्थल का चयन ग्रामवासियों से विचार-विमर्श के पश्चात्।
- हाट-पैठों हेतु उपयुक्त डिज़ाइन का निर्धारण ग्रामवासियों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए।
- निर्मित हाट-पैठों का संचालन ग्रामवासियों की समिति के माध्यम से।
- हाट-पैठों के अनुरक्षण का अधिकार ग्रामवासियों की समिति को।

परियोजना का अनुश्रवण:-

- परियोजना के अनुश्रवण हेतु ग्राम स्तर पर संगठित नियोजन एवं विकास समिति को अधिकार
- परियोजना के संदर्भ में समिति के दायित्व निम्न प्रकार निर्धारित:-
  - ❖ कृषि शोध प्रसार रणनीति के आधार पर ग्राम स्तर की कार्ययोजना को तैयार करना।
  - ❖ उपर्युक्तानुसार अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप परियोजना की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करना।
  - ❖ परियोजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में अपने सुझाव, जिला परियोजना समन्वयक, उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के जनपदस्तरीय अधिकारियों को प्रेषित करना।